FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Rohtak Year (वर्ष): 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0015 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 26/05/2025 18:54 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
3	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	8

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):

Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 26/05/2025 Time (समय): 18:20 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 012 Date and Time (दिनांक और समय): 26/05/2025 18:24 hrs

Anti Corruption Bureau ★ Rohtak Range Rohtak ★ Police Station

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): सोमवीर सिंह 5050310

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 07/09/1981 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):
Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Scanned with OKEN Scanner

(f)

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	भ्र0नि0ब्यूरो रोहतक, ROHTAK, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	भ्र0नि0ब्यूरो रोहतक, ROHTAK, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7419410514

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	जोगिन्द्र दास उप अधीक्षक			1. कार्यालय निदेशक विकास एवं,पचायंत विभाग हरियाणा,चन्डीगढ CHANDIGARH,CHANDIGARH,INDIA
2	बिजेन्द्र लेखा लिपिक			1. कार्यालय उपमण्डल अधिकारी,पचांयती राज छछरौली यमुनानगरYAMUNA NAGAR,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

Anti Corruption Bureau * Rohtak Range Rohtak * Police Station

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

Scanned with OKEN Scanner

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

रोहतक मण्डल रोहतक

विषय-शिकायत विरूद्ध किये जाने कार्यवाही बर खिलाफ जोगिन्द्र दास उप अधीक्षक, कार्यालय निदेशक विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा चन्डीगढ, बिजेन्द्र लेखा लिपिक, कार्यालय उपमण्डल अधिकारी पंचायती राज छछरौली जिला यमुनानगर द्वारा पदोन्नती करवाने की एवज मे रिश्वत की मांग करना व 96,000 रुपये की रिश्वत लेने पर मुकदमा दर्ज करके कानुनी कार्यवाही करने बारे।

श्रीमान जी,

निवेदन है कि दिनांक 24.09.24 को मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा, पचंकुला के व्हाट्सएप न. 9779775161 पर शिकायतकर्ता यतीन्द्र वासी मकान न. 2239/A Sector 20-C Chandigarh के द्वारा की गई शिकायत प्राप्त हुई। जो कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा, पचंकुला, कार्यालय के पत्र क्रमांक 2579 Complaint/372/PKL 2024 Dated 11-02-25 से कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक मण्डल रोहतक में सत्यापन व विश्लेषण के लिए प्राप्त हुई। शिकायत का सत्यापन एवं विश्लेषण सोमबीर सिंह उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक द्वारा अमल में लाया गया है। शिकायत के सत्यापन के दौरान सत्यापन अधिकारी द्वारा शिकायत के साथ संलग्न CD की रिकार्डिंग को सुना गया (CD Annuxure-A पर संलग्न है) व रिकार्डिंग का प्रतिलेखन (Transcription) करने के उपरान्त प्रतिलेखन (Transcription) का विश्लेषण किया गया (प्रतिलेखन/Transcription Annuxure-B पर संलग्न है) तथा बिजेन्द्र लेखा लिपिक, कार्यालय उपमण्डल अधिकारी पचांयती राज छछरौली जिला यमुनानगर को बुलाकर पूछताछ की गई। जिसने अपनी लिखित दरखास्त पेश की (लिखित दरखास्त Annuxure-C पर संलग्न है) जो मूल शिकायत के साथ प्राप्त CD की रिकार्डिंग सुनने व रिकार्डिंग का प्रतिलेखन का विश्लेषण एवं बिजेन्द्र लेखा लिपिक, कार्यालय उपमण्डल अधिकारी पचांयती राज छछरौली जिला यमुनानगर द्वारा पेश की गई लिखित दरखास्त से पाया गया कि बिजेन्द्र लेखा लिपिक, कार्यालय उपमण्डल अधिकारी पचांयती राज उपमण्डल छछरौली जिला यमुनानगर से जोगिन्द्र दास उप अधीक्षक, कार्यालय निदेशक विकास एवं पचायंत विभाग हरियाणा, चन्डीगढ के बीच रिश्वत लेने देने की बातचीत हुई है, और उक्त बिजेन्द्र लेखा लिपिक व उक्त जोगिन्द्र दास के बीच हुई बातचीत की रिकार्डिंग के वायरल होने के बाद निदेशक विकास एवं पचांयत विभाग हरियाणा चन्डीगढ़ के कार्यालय द्वारा उक्त बिजेन्द्र व अन्य कर्मचारियों को निलंम्बित करने बारे बिजेन्द्र ने बतलाया है। बिजेन्द्र लेखा लिपिक ने अपने द्वारा हस्तलिखित दरखास्त में जोगिन्द्र दास के साथ रिश्वत लेने-देने की उपरोक्त बातचीत को सच बतलाया है। जोगिन्द्र दास ने बिजेन्द्र लेखा लिपिक, कार्यालय उपमण्डल अधिकारी पचांयती राज से पदोन्नती करवाने के लिए 1,50,000/- रुपयें रिश्वत की मांग की थी। जिनमें से रिश्वत के तौर पर 96,000/- रुपये बिजेन्द्र के मोबाईल नं0. 9416148162 से जोगिन्द्र दास के मोबाईल नं0. 9468055022 पर दिनांक 21.02.24 को Phone Pay के माध्यम से व 4,000/- रुपये नगद देने बारे बतलाया है तथा जोगिन्द्र दास द्वारा बकाया 50,000/- रुपये और लेने के लिए दबाव बनाने बारे में भी बतलाया है। अतः रिश्वत देने वाले बिजेन्द्र लेखा लिपिक, कार्यालय उपमण्डल अधिकारी पचांयती राज छछरौली जिला यमुनानगर, व रिश्वत लेने वाले जोगिन्द्र दास उप अधीक्षक, कार्यालय निदेशक विकास एवं पचांयत विभाग हरियाणा चन्डीगढ़ ने अपनी अधिकारिक क्षमता (Official Capacity) से बाहर जाकर कार्य किया है। किसी सरकारी कर्मचारी के द्वारा रिश्वत मांगना, लेना व देना अधिकारिक कर्तव्य का भाग नहीं हो सकता है। अतः उक्त आरोपियों का यह कृत्य प्रत्यक्षतः आपराधिक प्रकृति का (Ex facie Criminal in nature) है। जिसके लिए कार्यालय मुख्य सचिव के पत्र क्रमांक 4/2/2021-1VII dated 26.07.2022 के द्वारा जारी निर्देशों के तहत 17-ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की अनुमति की आवश्यकता नही है। अतः उपरोक्त आरोपियों के द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7,8,13 के अन्तगत अपराध का किया जाना पाया गया है। इसलिए उपरोक्त जोगिन्द्र दास उप अधीक्षक, कार्यालय निदेशक विकास एवं पचायंत विभाग हरियाणा, चन्डीगढ व बिजेन्द्र लेखा लिपिक, कार्यालय उपमण्डल अधिकारी पचांयती राज छछरौली जिला यमुनानगर के विरूद्ध धारा 7,8,13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया जाने के लिए यह लेख अनुमोदन हेतू भेजा जा रहा है। अभियोग के अनुसंधान के दौरान किसी और अधिकारी/कर्मचारी या अन्य किसी व्यक्ति की संलिप्तता पाई जाती है तो उसे भी देख लिया जावे। हस्ता अंग्रेजी Sombir

(सोमबीर सिंह) ह0पु0अ0

Scanned with OKEN Scanner

उप पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
रोहतक मण्डल रोहतक।
अज थाना हस्ब आमदा तहरीर पर मुकदमा नम्बर 15 दिनांक 26.05.25 धारा 7,8,13,भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत थाना भ्र0नि0ब्यूरो रोहतक दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अफसरान बाला व ड्युटी मैजिस्ट्रेट साहब रोहतक को बजरीया मेल दवारा सूचना दी गई। नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर मय सम्बन्धित कागजात SP साहब द्वारा नियुक्त अनुसंधान अधिकारी श्री रोहताश सिंह उ0पु0अ0 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक के हवाले की जाएगी उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक जगपाल सिंह न0 288/II की हाजरी मे दर्ज रजिस्टर किया गया है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Rohtash Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): HPS to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Anti Corruption Bureau Rohtak * Police Station *

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Jagpal Singh

Rank (पद): Inspector

No. (सं.): 288/II

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Scanned with OKEN Scanner